भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025

Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/06/02/2017/एफ0सी0 / 120

दिनॉक : 3-7-17

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

(आनॅलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/10947/2015)

विषयः गाजियाबाद में दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे (ग्रीन फील्ड परियोजना) के निर्माण हेतु 14.018 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 2633 वृक्षों व 7884 पौधों के पातन, 1.035 हे0 संरक्षित वनभूमि व उस पर अवस्थित 10931 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ –: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 का पत्रांक– 2466/गाजियाबाद/10947/2015, दिनांक– 01.06.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण को दिनांक– 30.05.2017 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सम्मिलित किय गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक (REC) दिनांक– 30.05.2017 की कार्यवाही की प्रति (REC Agenda item 18.2 -U.P.) संलग्न है।

क्षेत्रीय सशक्त समिति के द्वारा दिए गऐ निर्देशानुसार राज्य सरकार से अनुपालना प्रेषित किये जाने हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 01.06.2017 द्वारा पत्र जारी किया गया था। जिसके अनुपालन में मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 का उपरोक्त संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ है।

इस संबंध में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रेषित की गयी अनुपालना आख्या में केवल वृक्षों की पुरानी गणना राज्य सरकार के अग्रसारित पत्र द्वारा प्रेषित कर दी गयी है एवं क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में निर्णयोपरान्त चाही गयी सूचनाओं की पूर्ण अनुपालन आख्या भी नही प्रस्तुत की गयी है।

अतः क्षेत्रीय सशक्त समिति के निर्णयानुसार चाही गयी बिन्दुवार सूचना की पूर्ण अनुपालना आख्या नोडल अधिकारी,उ0 प्र0 शीघ्र प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। (क्षेत्रीय सशक्त समिति के निर्णय की प्रति. संलग्न)

साथ ही आपको यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि इसलिए इस महत्वपूर्ण प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा चाही गयी सूचनाओं के अभाव में किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिए नोडल अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

भवदीय,

संलग्नक– यथोपरि।

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

3/7/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ, उ0 प्र0।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद, उ0 प्र0।
4. परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, पी0आई0यू0, गाजियाबाद, उ0 प्र0।
5. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश प्रत्रावली

3/7/17

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}